

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा ।

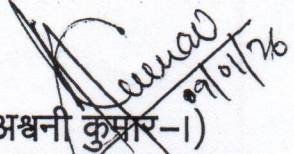
दिनांक-09.01.2026

आदेश

पूर्व में पारित रिमाण्ड आदेश के अनुसार माह जनवरी, 2025 में रिमाण्ड कार्य सम्पादित करने हेतु श्रीमती अदिति मलहोत्रा, अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-4/न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा को रिमाण्ड कार्य करने हेतु नामित किया गया था। उनके द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार दिनांक-10.01.2026 (द्वितीय शनिवार) व दिनांक-11.01.2026 (रविवार) को चिकित्सीय कारणों से वे रिमाण्ड कार्य करने में असमर्थ हैं तथा उनके स्थान पर सुश्री आरुषि शर्मा सिविल जज(जू०डि०)एफ०टी०सी०/न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वारा रिमाण्ड कार्य करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक-10.01.2026 (द्वितीय शनिवार) व दिनांक-11.01.2026 (रविवार) को रिमाण्ड कार्य सुश्री आरुषि शर्मा सिविल जज(जू०डि०)एफ०टी०सी०/न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) इटावा द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

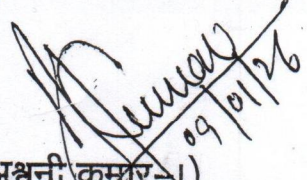
दिनांक -09.01.2026


(अश्वनी कुमार-1)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा ।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ ।
2. उपरोक्त न्यायालयों को सूचनार्थ ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा ।
5. संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा ।
6. अध्यक्ष जिला बार संघ इटावा ।
7. केन्द्रीय कम्प्यूटर कार्यालय, जजी इटावा को अपलोड हेतु।

दिनांक -09.01.2026


(अश्वनी कुमार-1)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा ।